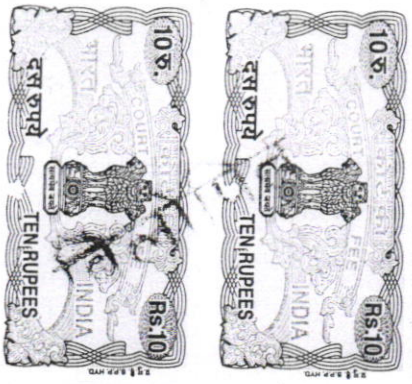

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल,ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण कमांक /2014 निगरानी R 2416-III/14

हरगोविन्द पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार अहिरवार आयु 37 वर्ष निवासी– ग्राम बारो,वार्ड 9 देवी नगर मौहल्ला तहसील घुवारा जिला छतरपुर म.प्र.

........निगरानीकर्ता

बनाम

1. म.प्र. शासन
2. दशरथ पुत्र फूलचन्द जैन निवासी–ग्राम बारो तहसील धुवारा जिला छतरपुर
3. ज्ञानचन्द पुत्र नामालुम निवासी– ग्राम बारो तहसील धुवारा जिला छतरपुर

........उत्तरदातागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.राजस्व संहिता न्यायालय तहसीलदार धुवारा जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 44/अ–3/05–07 व उनमान दशरथ जैन बनाम ज्ञानचन्द जैन ,विरूद्ध आदेश दिनांक 16.03.2007

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है–

1. यहकि उपरोक्त प्रकरण दशरथ जैन अनावेदक एवं ज्ञानचन्द जैन अनावेदक ने आपस मे मिलकर न्यायालय तहसीलदार तहसील धुवारा जिला छतरपुर के यहां एक प्रार्थना पत्र तरमीम जमीन एवं नक्शा मे संशोधन वाबत प्रस्तुत किया और उसमे तहसीलदार ने बगैर मौके पर जाये तथा मौके का निरीक्षण किये गैर आदेश दिनांक 26.03.2007 पटवारी व राजस्व निरीक्षक धुवारा के लिये पारित कर दिया और नक्शे तरमीम कर लाल स्याही से दुरूस्त कर प्रकरण समाप्त

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2410-तीन/2014 हरगोविन्द विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक हरगोविन्द की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी एवं अनावेदक क्रमांक 1 शासन की ओर से अभिभाषक श्री डी.एस.तोमर तथा अनावेदक क्रमांक 3 की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र जैन उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार धुवारा, जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 44/अ-3/2005-07 में पारित आदेश दिनांक 16-03-2007 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 04-08-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी । 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।"	

29.X.18

4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 24-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

29.X.18

(आर.के. जैन)
सदस्य